सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 श्रावण, 1947 (श०)

संख्या - 376 राँची, मंगलवार, 29 जुलाई, 2025 (ई०)

प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

24 जून, 2025

संख्या-5/आरोप-1-7/2024-31500 (HRMS)--श्री गिरेन्द्र टूटी, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गम्हरिया, सरायकेला-खरसावाँ के विरूद्ध कार्यों में लापरवाही बरतने के लिए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-700/रा०, दिनांक 04.03.2024 द्वारा निलंबित करने की अनुशंसा की गई ।

2. उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-25765(HRMS), दिनांक 10.06.2024 द्वारा श्री टूटी को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत् निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय-प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया गया ।

3. श्री टुटी द्वारा निलंबन से मुक्त करने संबंधी आवेदन समर्पित किया गया। समर्पित आवेदन में उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि व्यक्तिगत कठिनाईयों एवं निलंबन की वजह से उत्पन्न आर्थिक समस्या के कारण ये अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन में अक्षम हैं, जिस कारण ये काफी तनाव एवं चिंता में रहते हैं ।

4. अतः श्री टुटी से प्राप्त आवेदन एवं मामले की समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(क) श्री गिरेन्द्र टुटी, झा०प्र०से० को निलंबन मुक्त किया जाता है ।

(ख) इनके निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा ।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Department	Office	Designation	Decision of the Competent Authority	Effective Date	Effect of suspension period on pension
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GIRENDRA TUTI (250574)	DIV COMMISIONER OFFICE SOUTH CHHOTANAGPUR	DIVISIONAL COMMISSIONER SOUTH CHOTANAGPUR RANCHI (RANCHI)	Under Suspension	(क) श्री गिरेन्द्र टूटी, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गम्हरिया, सरायकेला-खरसावाँ को निलंबन मुक्त किया जाता है। (ख) इनके निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।	24/06/2025	It will NOT be calculated for pension purposes

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 376 - 50